मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल

विज्ञप्ति
संविदा आधार पर विधि अधिकारी की नियुक्ति

प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल के कार्यालय में संविदा आधार पर विधि अधिकारी के पद पर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत न्यायाधीश को संविदा आधार पर अधिकतम रू0 30,000/- (रू0 तीस हजार मात्र) प्रतिमाह मानदेय के आधार पर नियुक्त करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।

आवेदक की उम्र दिनांक 1.7.2011 को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । संविदा नियुक्ति प्रारंभ में एक वर्ष के लिए की जाएगी । कार्य कुशलता एवं कार्य की आवश्यकतानुसार संविदा अवधि में कमी या वृद्धि की जा सकेगी । आवेदक को सेवा नियुक्तियों से संबंधित औद्योगिक विवाद, जैसे मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन स्थाई आदेश अधिनियम एवं अन्य श्रम कानूनों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिये । इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र विस्तृत वायोडाटा, सेवानिवृति आदेश की प्रति सहित दिनांक 31.12.2011 तक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भू-तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल के पते पर प्रेषित कर सकते हैं । नियुक्ति के संबंध में विस्तृत विवरण तथा सेवा शर्ते विभाग की बेवसाइट www.mpphed.gov. in पर देखी जा सकती है ।

प्रमुख अभियन्ता

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, अंतर्गत विधि अधिकारी के पद पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की संविदा नियुक्ति हेतु सेवा शर्तेः–

1. संविदा अवधि

1.1 संविदा अवधि एक वर्ष के लिए होगी। वर्षान्त पर कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा सामान्य प्रशासन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति के निर्देशों के आधार पर एवं मूल्याकन आधार पर उपयुक्त होने पर पुनः एक वर्ष के लिए नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकेगा।

1.2 इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावा नहीं किया जायेगा।

2. मानदेय/पारिश्रमिक

2.1 **सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग** के परिपत्र क्रमांक–एफ–सी–3–19/2010/1/3 भोपाल दिनांक 06.10.2010 अनुसार प्राप्त होने वाले वेतन अथवा अधिकतम रूपये 30.000/– (रू. तीस हजार मात्र) प्रतिमाह एक मुश्त भुगतान किया जायेगा। मंहगाई एवं अन्य गृह भाड़ा भत्ता आदि नहीं दिया जायेगा।

2.2 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र.–एफ–सी–3–19/2010/1/3 भोपाल दिनांक 06.10.2010 के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता पात्रता अनुसार भत्ते दिये जायेगें।

3. अवकाश चिकित्सा प्रतिपूर्ति

3.1 **शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र.एफ–सी–3–19/2010/1/3 भोपाल दिनांक 06.10.2010** के अनुसार प्रदाय किये जायेगें तथा परिप़त्र में लागू अन्य शर्ते भी यथावत रहेगीं।

4. अन्य

4.1 नियुक्ति अधिकारी पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे ।

4.2 नियुक्त अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में प्रचलित एवं लंबित प्रकरणों तथा अवमानना प्रकरणों पर शासन का पक्ष रखने के लिये

प्रत्युत्तर/प्रत्यावर्तन दायर करने में प्रभारी अधिकारी की सहायता करेगें।

4.3 **<u>नियुक्त अधिकारी की सेवाऐं निर्धारित अवधि के पूर्व विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा एक माह</u>** के नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी।

4.4 नियुक्त अधिकारी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्याग पत्र दे सकता है।

4.5 नियुक्त अधिकारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

4.6 कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

4.7 नियुक्त अधिकारी को समय–समय पर सौपें गये अन्य कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होगें।

4.8 नियुक्ति पत्र में दर्शाई तिथि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।

4.9 नियुक्त अधिकारी को आधारभूत एवं उसे दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा।

4.10 नियुक्त अधिकारी उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जायेगा। यदि संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

4.11 विवाद की स्थिति में विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव का निर्णय अंतिम होगा।